लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./ए/64/2010/113 भोपाल, दिनांक 23/3/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–49/2008/20–1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम–2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम–5 तथा तालिका, के कालम–6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अतंर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का जावक क्रमांक एंव दिनांक		संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था/ जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
	श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव अध्यापक शा. मा.शा. खरई जिला– शिवपुरी	BB2576	23060205609	जिला पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र.9923दि10.10.09	नगरपालिका परिषद राघौगढ़ जिला –गुना जा.क्र. 1256 दि. 12.10.10 शास.उ.मा.वि. रूठियाई	23070977703

संविलियन की शर्तें :–

1. यह अनुमति तालिका के कालम–6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम–6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेगें।
4. तालिका के कालम–6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम–5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम–6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम–2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम–5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित** निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

23/3/10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 23/3/10

पृष्ठा. क्रं./शि.क./संवि./ए/64/2010/ 114
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों** के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों** के द्वारा नवीन पदांकित **संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।**
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तो की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

23/3/10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए/03/09/109 भोपाल, दिनांक 22-3-2010

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश कमांक/अध्या.संवर्ग/ए/संवि/03/2009/ 221–222 दिनांक 12.6.2009 के सरल कमांक 27 पर अंकित श्री राकेश कुमार तिवारी, अध्यापक (विकलांग) जिला पंचायत उमरिया के अन्तर्गत शा.पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोयलारी जिला उमरिया से जिला पंचायत रीवा के अन्तर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरा हरिहरपुर में पदांकन हेतु दी गई संविलियन की अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

उक्त आदेश का तत्काल पालन करते हुये श्री तिवारी को पूर्व संस्था के लिये कार्यमुक्त करें ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित ।

22.03.10
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक/शि.क./ए/03/09/110 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. जिला कलेक्टर, उमरिया/रीवा मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उमरिया/रीवा मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देश है कि श्री तिवारी को तत्काल पूर्व संस्था के लिये कार्यमुक्त / कार्यभार ग्रहण करायें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी उमरिया/रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री राकेश कुमार तिवारी, अध्यापक (विकलांग) शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरा हरिहरपुर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ ।

22.03.10
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

s.k./d/ letter/narwaria